न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी - श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन - 104/2022 अन्तर्गत धारा 251 'ए' R.I. Act

अनवान :-

प्रार्थी - 1 भैराराम पुत्र नानगाराम जाति जाट निवासी नेहरो का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण - 1 अचलाराम पुत्र केसराराम 2 केसरा पुत्र जुगता
3 केसाराम पुत्र विशनाराम 4 चेना पुत्र खरथा
5 झीमों पत्नी विशनाराम 6 तेजाराम पुत्र खरथा
7 धर्माराम पुत्र विशनाराम 8 पेमा पुत्र जुगता
9 बाबुलाल पुत्र केसराराम 10 भैराराम पुत्र विशनाराम
11 मेहरा पुत्र भीया 12 रामा पुत्र गुमना
13 वभुता पुत्र खरथा 14 हिन्दूराम पुत्र केसराराम
15 गंगा पुत्र अर्जुन 16 बाला पुत्र अर्जुन
17 रूगनाथ पुत्र अर्जुन 18 हीरा पुत्र अर्जुन
जाति जाट निवासी नेहरों का तला तहसील सेड़वा
19 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सेड़वा।

वकील प्रार्थी :- श्री बाबुलाल विश्नोई

वकील विप्रार्थी संख्या 4,6,15,व 17 :- श्री ज्येष्ठ कुमार

निर्णय

दिनांक 12.01.2023

सहायक कलक्टर सेड़वा

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एक काश्तकार है। प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जाशुदा खेत मौजा नेहरों का तला पटवार हल्का सेड़वा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा के खसरा सं. 421/308 रकबा 1.3597 हैक्टयर किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है जिस पर प्रार्थी का अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त है। ... रहवासी हेतु ढाणियों, टांके व मवेशियों के बाड़े आदि बने हुए है। ... आने जाने के लिए

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:21:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

विप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 तक के खातेदारी खेत खसरा संख्या 309 रकबा 4.8238 हैक्टयर व खसरा संख्या 419/308 रकबा 2.4929 हैक्टयर में चल कर सड़क मार्ग तक आने जाने के लिए एक मात्र रास्ता है। प्रार्थी की जोत पर आने जाने हेतु कदीम रास्ता है जिसका उपयोग प्रार्थी वर्षो से करते आ रहे है तथा यह एक मात्र रास्ता है। काश्त के समय प्रार्थी की जोत खेत खसरा संख्या 421/308 रकबा 1.3597 हैक्टयर के चारों ओर से काश्तकार अपनी काश्त कर लेते है जिससे प्रार्थी को अपनी जोत में जाने से बाधित हो जाते है एव हर बार रास्ते को लेकर भारी विरोध होता है। झगडा होने की पूर्ण सम्भावना बनी रहती है। जिस हेतु यह आवेदन पेश किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। विप्रार्थी संख्या 4, 6, 15 व 17 की ओर से अधि. श्री ज्येष्ठ कुमार आयें। विप्रार्थी वकील ने प्रार्थना का जवाब प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। शेष विप्रार्थीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त होने के बावजुद भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ अतः उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया जिस पर तहसीलदार सेड़वा को उक्त चाहे गये रास्ते के संबंध मे मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया।

उभयपक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी। विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने ग्राम नेहरों का तला के खसरा संख्या 309, 419/308 में से प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी की खातेदारी कब्जा व काश्त की भूमि है। उक्त भूमि को, काश्त की सुविधा में दुविधा में पैदा करने के आशय से हमें तंग परेशान करने हेतु मनगंढत, निराधार का प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारीज योग्य है, प्रार्थी के ग्राम नेहरों का तला के खसरा संख्या 307, 499/420 में से आने–जाने के लिए विकल्प का रास्ता व नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता मौजुद है, प्रार्थी का कई वर्षो से आवागमन के लिए व कृषि कार्य के लिए व घरेलू आवागमन के लिए वाहन वगैरा इसी रास्ते में आना–जाना हर समय करता है। प्रार्थी द्वारा कथित रास्ता अप्रार्थीगण के खेत में मौके पर नही है, तथा प्रार्थी ने कथित स्थान से कभी आवागमन नहीं किया है, प्रार्थी द्वारा कथन ही सरासर गलत व निराधार है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता अत्यंत सुविधाजनक नहीं है प्रार्थी के ग्राम नेहरों का तला के खसरा संख्या 307, 419/308 में से जवाब के साथ नक्शा परिशिष्ठ "ब" में लाल स्याही के स्थान पर नजदीक व सुविधाजनक रास्ता सरकारी भूमि व खातेदार मोडाराम पुत्र भेराराम में से मौके पर मौजुद है, उक्त रास्ता स्थान से प्रार्थी [illegible] करते है तथा इसी स्थान से

(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:21:45 IST
Reason: SelfAttested

रास्ते के रूप मे उपयोग करते है प्रार्थी वर्तमान मे भी इसी स्थान में आवागमन करता है। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थी हम अप्रार्थीगण के खेत से किसी प्रकार का रास्ता प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी नही है। जिससे प्रथम प्रार्थी द्वारा चाहा गया आवेदन गलत व निराधार व दूर रूट का होने व मौके पर कोई रास्ता चालू नही होने से प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है। प्रार्थी वैकल्पिक रास्ता मौजूद होते हुए भी गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है तहसीलदार सेड़वा से उक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा प्राप्त प्राप्त हुई. जो शामिल पत्रावली की गई। मौका रिपोर्ट समस्त पक्षकारों को निरीक्षक कार्यालय से नोटिस क्रमांक 247 से 264 दिनाक 24.08.2022 द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामिली विधिवत रूप से करवायी गयी। मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र. स	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट मे	रास्ते की चौड़ाई फीट मे	प्रस्तावित रास्ते मे समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते मे समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	तेजाराम भभूताराम चेनाराम पि खरथाराम 1/4 मेहराराम पुत्र भीयाराम 1/4 रामाराम पुत्र गुमनाराम 1/4 बाबूलाल अचलाराम हिन्दूराम पि केसराराम 1/20 हि0 वीरों पत्नी जेठाराम 1/60 पेमाराम पुत्र जुगताराम 1/10 हि0 केसरा पुत्र जुगता 1/12 हि0 कौम जाट सा0 देह खातेदार	309	4.8238 हैक्ट.	20	0.0442 हैक्ट	नेहरो का तला	12862/–	बारानी सोयम
2	गंगा पुत्र अर्जुन हिस्सा 1/4 बाला पुत्र अर्जुन हि0 1/4 रूगनाथ पुत्र अर्जुन हिस्सा 1/4 हीरा पुत्र अर्जुन 1/4 कौम जाट सा0 देह खातेदार रहन : गंगा का हि0 सहकारी भूमि विकास बैंक लि बालोतरा में व रूगनाथ का हि0 SBBJ शाखा सेड़वा	419/308	2.4929 हैक्टयर	20	0.0527 हैक्टयर	नेहरो का तला	15335/–	बारानी सोयम

वादीगण के ग्राम नेहरों का तला के खसरा संख्या 421/308 रकबा 1.3597 हैक्टयर तक आने जाने के लिए राजकीय रास्ता खसरा संख्या 280 से खसरा संख्या 309 व खसरा संख्या 419/308 में से प्रस्तावित रा[illegible]ल्पिक रास्ता नहीं है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:21:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तावित रास्ते मे किमती पेड मकान अन्य निर्माण नही है। वादीगण को अपनी खातेदारी भूमि के खसरा संख्या 421 / 308 से राजकीय खसरा संख्या 280 तक आने-जाने के लिए खसरा संख्या 419 / 308 व 309 मे से सलग्न नक्शे मे प्रस्तावित रास्ता बरंग गुलाबी दर्शाया गया है। जिसके अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है। उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारो और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाई गई। मौके पर उपस्थित पक्षकारो ने पढ़ सुन समझ कर हस्ताक्षर / अंगुष्ठ निशान किये।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । सलग्न दस्तावेजो एव मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है।

अतः प्रार्थी की माग उचित प्रतित होती है और प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट मे	रास्ते की चौडाई फीट मे	प्रस्तावित रास्ते मे समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते मे समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	तेजाराम भभूताराम धेनाराम पि खरथाराम 1 / 4 मेहराराम पुत्र भीयाराम 1 / 4 रामाराम पुत्र गुमनाराम 1 / 4 बाबूलाल अचलाराम हिन्दूराम पि केसराराम 1 / 20 हि0 वीरों पत्नी जेठाराम 1 / 80 पेमाराम पुत्र जुगताराम 1 / 10 हि0 केसरा पुत्र जगता 1 / 12 हि0 कौम जाट सा0 देह खातेदार	309	4.8238 हैक्ट	20	0.0442 हैक्ट.	नेहरो का तला	12862 / -	बारानी सोयम
2	गंगा पुत्र अर्जुन हिस्सा 1 / 4 बाला पुत्र अर्जुन हि0 1 / 4 रूगनाथ पुत्र	419 / 308	2.4929 हैक्टयर	20	0.0527 हैक्टयर	नेहरो का तला	15335 / -	बारानी सोयम

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:21:45 IST
Reason: SelfAttested

(SDO)

	अर्जुन हिस्सा 1/4 हीरा पुत्र अर्जुन 1/4 कौम जाट सा0 देह खातेदार रहन गंगा का हि0 सहकारी भूमि विकास बैंक लि बालोतरा मै व रूगनाथ का हि0 SBBJ शाखा सेड़वा							

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/सशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्त स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरो की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते मे हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थी के आवेदन की गभीरता व आत्यातिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एव सलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस गुलाबी रंग से दर्शाया गया 20.00 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। तथा क्षतिपूर्ति की राशि डीएलसी दर की दो गुनी राशि प्रार्थी विप्रार्थीगण को अदा करेगें। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थी को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तो की पालना अनिवार्य होगी –

1. तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनाक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस मे न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरोक्त बताई [illegible] का भुगतान प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारो (विप्रार्थीगण) को [illegible] भूमि के रकबे की

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:21:45 IST
Reason: SelfAttested

क्षतिपूर्ति राशि के रूप मे किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरो की दो गुना के बराबर होगी।

3 प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते मे समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारो) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार सेडवा द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमाकन तथा राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चिय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इन्कार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

4 नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते मे समाविष्ट होने वाली भूमि के सबध मे अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखो मे "रास्ता" के रूप मे अभिलिखित की जायेगी।

5 प्रार्थी को उक्त 20 फीट चौडे रास्ते के केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारो के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होगे।

6 रास्ते के रूप मे समाविष्ट भूमि का रकबा सबधित खसरो मे से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को नया रास्ता दिए जाने हेतु आज दिनाक 12.01.2023 को आदेश किया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य अग रहेगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेडवा को लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलेक्टर
(SDO) सेड़वा
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेडवा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:21:45 IST
Reason: SelfAttested